संख्या: 24/2026/124/छप्पन-2026-41/03टी0सी0

प्रेषक,

ईशान प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक,
नागरिक उड्डयन निदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 06 मार्च, 2026

विषयः संस्थान हेतु एक नये वाहन को क्रय किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, एयरोनाटिकल ट्रेनिंग इंस्टीटयूट, उ0प्र0, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ के पत्र संख्या-1396/ए0टी0आई0/वाहन/2025 एवं पत्र संख्या-1507/एटीआई/वाहन/2025 दिनांक 28 जनवरी, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा एयरोनाटिकल ट्रेनिंग इंस्टीटयूट, उ0प्र0, लखनऊ संस्था हेतु 01 वाहन मारुति डिजायर के क्रय व साज-सज्जा हेतु शासन स्तर से अनुमति प्रदान करने तथा क्रय हेतु अनुमानित धनराशि रू0 7.00 लाख निदेशक, नागरिक उड्डयन के निवर्तन पर भुगतान हेतु आवंटित करने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एयरोनाटिकल ट्रेनिंग इंस्टीटयूट, उ०प्र०, लखनऊ संस्था के प्रयोगार्थ 01 वाहन मारुति डिजायर का क्रय की अनुमति जेम पोर्टल के माध्यम से एवं साज-सज्जा तथा वाहन के क्रय हेतु अनुमानित धनराशि रू0 7.00 लाख (रू0 सात लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त धनराशि निदेशक, नागरिक उड्डयन के निवर्तन पर भुगतान हेतु आवंटित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन प्रश्नगत वाहनों के उपयोग के लिये अधिकृत अधिकारियों की अपरिहार्य आवश्यकता एवं उपलब्ध वाहनों के संचालन में अपरिहार्य /न्यूनतम व्यय के संबंध में स्वयं सुनिश्चित हो लेंगे।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन वाहन क्रय किये जाने के सम्बन्ध में उपलब्ध शासनादेशों / नियमों / विनियमों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(3) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन जेम (GEM) की दरों की अनुमन्यता एवं वैधता अपने स्तर पर सुनिश्चित करेगें ।

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-58/2023/1621/18-2-2023/18-2099/372/2023-125(ल0उ0)/2014, दिनांक 21.12.2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार अनुमन्य वित्तीय सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

4- उपर्युक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अधीन सुसंगत पूंजीगत लेखा लेखा शीर्ष "5053-नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय-80- सामान्य-800-अन्य व्यय-06-एयरोनाटिकल ट्रेनिंग इंस्टीटयूट-14-मोटर गाड़ियों का क्रय" के नामे डाला जाएगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-E-7-205-X-2025-26-दिनांक:05-03-2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,
ईशान प्रताप सिंह
विशेष सचिव

पृ0सं0: 24/2026/124(1) छप्पन-2026 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- उप महालेखाकार ई०एस0 111, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10

3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- निदेशक, एयरोनाटिकल ट्रेनिंग इंस्टीटयूट, उ0प्र0, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ को उनके उक्त पत्र दिनांक 16 दिसम्बर, 2025 एवं 28.01.2026 के सन्दर्भ में।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in